रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257800 CG-DL-E-10102024-257800

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4021]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/आश्विन 17, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946

No. 4021]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4382(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चपराला वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

6514 GI/2024 (1) अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5. मानीटरी समिति--(1) केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली मानीटरी समिति का गठन करेगी, अर्थातु :-

(i)	जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय- समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्था से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे हर तीन साल में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	नगर नियोजन कार्यालय, गढ़चिरौली का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई	सदस्य, पदेन;
(viii)	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व या पुलिस या लोक निर्माण विभाग या उद्योग या जल संसाधन या शहरी विकास और ग्रामीण विकास का एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ix)	उप प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), अल्लापल्ली	सदस्य, पदेन;
(x)	प्रभागीय प्रबंधक, मारखंडा वन विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड	सदस्य, पदेन;
(xi)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), अल्लापल्ली	सदस्य सचिव, पदेन।

6-मानीटरी समिति के कार्य - (1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते है,ऐसे क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के लिए है, समीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उप पैर (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सरिणी मे निर्दिष्ट है, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संमीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (3) मानीटरी सिमिति का सदस्य-सिचव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (4) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

[फा. सं. 25/23/2017-ईएसजेड] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी 1: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 3877(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024

S.O. 4382(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Chaprala Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

- "5. **Monitoring Committee**. (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-
- (i) The District Collector, Gadchiroli

Chairman, ex officio;

(ii) A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra

Member, ex officio;

(iii)	One representative of non-governmental organization working in the	Member.
	field of Wildlife Conservation to be nominated by the State	
	Government of Maharashtra from time to time every three years.	
(iv)	One expert in the area of ecology and environment, from reputed	Member.
	university or Institution to be nominated by the Government of	
	Maharashtra from time to time every three years.	
(v)	A representative of the Town Planning Office, Gadchiroli	Member, ex officio;
(vi)	One member of State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(vii)	Regional Officer, Maharashtra State pollution Control Board,	Member, ex officio;
	Mumbai	
(viii)	A representative each of Revenue or Police or Public Works	Member, ex officio;
	Department or Industries or Water resources or urban development	
	and Rural development of Government of Maharashtra	
(ix)	Sub Divisional Forest Officer (Wildlife), Allapalli	Member, ex officio;
(x)	Divisional Manager, Markhanda Forest Development Corporation of	Member, ex officio;
	Maharashtra Limited	
(xi)	The Deputy Conservator of Forests (Territorial), Allapalli	Member Secretary, ex
		officio.

- "6. Functions of the Monitoring Committee. (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State in pro-forma specified in **Annexure-V**.
 - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/23/2017-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020.